



BJP  
30/01/2020

# भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh

BJP/ECC/2020/282

मुख्य चुनाव आयुक्त  
भारत निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन सदन, अशोका रोड,  
दिल्ली- 110001

विषय: चुनाव प्रचार के दौरान नागरिकता संशोधन कानून 2019 (CAA) के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के खर्च को आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवारों के चुनाव के दौरान खर्च के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए.

यह आपके ध्यान में लाना है कि आम आदमी पार्टी (आप) और उसके नेता दिल्ली राज्य के विभिन्न स्थानों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आड़ में चुनावी अभियान में शामिल रहे हैं।

दिल्ली में किए जा रहे विभिन्न प्रदर्शनों, धरना आदि के दौरान कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले AAP की ओर से प्रचार कर रहे हैं जो चुनावी लाभ के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया ने पूरे दिल्ली को ऐसे प्रेरित विरोधों द्वारा जहरीला बना दिया गया है, जो AAP को लाभान्वित करने के उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं, इसके छद्म के रूप में कार्य कर रहे हैं।

AAP के नेता खुलेआम हो रहे इस विरोध का समर्थन करते हैं और निम्नलिखित तथ्यों और उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है:

1) <https://www.news18.com/news/politics/dellhi-elections-sisodia-says-i-stand-with-shaheen-bagh-kejriwal-openly-opposes-caa-is-aap-shifting-strategy-ahead-of-polls-2470477.html>

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को शाहीन बाग में विरोध करने वाली महिलाओं के विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। न्यूज 18 नेटवर्क द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव में बोलते हुए, सिसोदिया ने कहा कि वह शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़े हैं, जहाँ यह विरोध प्रदर्शन 40वें दिन तक आ पहुंचा है, तो विधानसभा चुनावों से दो हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी का इसपर स्टैंड लेना एक प्रमुख बदलाव का संकेत देता है।

14, पण्डित पंत मार्ग, नई दिल्ली, 110001, दूरभाष / फ़ैक्स : 23712323, 23712744, 23712509

14, Pt. Pant Marg, New Delhi- 110001, Telefax : 23712744, 23712323, 23712509

ई-मेल : [bjpdelhioffice@gmail.com](mailto:bjpdelhioffice@gmail.com), वेब : [www.bjpgdelhi.org](http://www.bjpgdelhi.org)



## भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh

इसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने भी CAA को "एक मुद्दा" बताया और कहा कि उनकी पार्टी विभाजनकारी प्रक्रिया या प्रस्तावित NRC का समर्थन नहीं करती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में सीएए के खिलाफ मतदान किया था और उन्होंने हर रैली और साक्षात्कार में इसका विरोध किया है।

उक्त लेख की एक वास्तविक प्रति संलग्न है और इसे अनुबंध (ANNEXURE) - 1 के रूप में संलग्न किया गया है।

2) <https://www.indiatoday.in/india/story/delhi-waqf-board-announces-rs-5-lakh-each-to-kin-of-those-dead-in-anti-caa-clashes-1630408-2019-12-21>

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने शनिवार को घोषणा की कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देगा।

एक विवादित कदम के रूप में दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान ने आज पुलिस के साथ झड़पों में कथित रूप से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए बोर्ड से 5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

एक फेसबुक पोस्ट में अमानतुल्ला खान ने दावा किया कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक के मैंगलोर में कई लोग "पुलिस की गोलियों" के कारण मारे गए।

अमानतुल्ला खान, जो ओखला विधानसभा क्षेत्र से AAP विधायक भी हैं, ने कहा, "यह निर्णय लिया गया है कि DWB पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों को 5 लाख रुपये देगी।"

यह कदम संदेह पैदा करता है क्योंकि AAP विधायक ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मारे गए पीड़ितों के परिजनों को अनुदान प्रदान किया जाएगा।

14, पण्डित पंत मार्ग, नई दिल्ली, 110001, दूरभाष / फ़ैक्स : 23712323, 23712744, 23712509

14, Pt. Pant Marg, New Delhi- 110001, Telefax : 23712744, 23712323, 23712509

ई-मेल : [bjpdelhioffice@gmail.com](mailto:bjpdelhioffice@gmail.com), वेब : [www.bjpdelhi.org](http://www.bjpdelhi.org)



# भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh

उक्त लेख की एक सच्ची प्रति संलग्न है और इसे अनुबंध (ANNEXURE) - 2 के रूप में संलग्न किया गया है।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान और AAP के विभिन्न नेता इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं कि सीएए के खिलाफ आम जनता द्वारा उक्त रैलियों का आयोजन किया जा रहा है।

यह तथ्य कि AAP, एक राजनीतिक दल ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और राजनीतिक पार्टी के लिए प्रॉक्सी अभियान में शामिल होने का कोई भी प्रयास इस रूप में देखा जाना चाहिए कि इस तरह के अभियान पर कोई भी खर्च उम्मीदवारों के खाते के अनुसार होगा जिनके लाभ के लिए प्रॉक्सी अभियान किया गया था।

यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी को लाभ शून्य में नहीं बल्कि कानून के अनुसार निर्दिष्ट शर्तों के रूप में मिलते हैं।

आदर्श आचार संहिता का पैरा 3.8 राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए चुनाव से संबंधित अभियान के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करता है।

**“3.8 चुनाव संबंधी अभियान की गतिविधियाँ में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अलावा अन्य व्यक्तियों की गतिविधियाँ भी मॉडल कोड के तहत आती हैं।**

XXX

3.8.2 चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों / उम्मीदवारों के अलावा अन्य संगठनों और व्यक्तियों द्वारा इस तरह के अभियानों के मामले में निम्नलिखित दिशानिर्देशों को निर्धारित किया है, उस अवधि के दौरान जब मॉडल कोड लागू होता है। (Annexure) (अनुबंध)- III): -

(i) किसी को, किसी भी तरीके से, धर्म या धार्मिक आधार पर या किसी भी तरह की गतिविधियों से वर्गों या लोगों के समूह में अपने अभियान के दौरान किसी तरह की असहमति पैदा नहीं करनी चाहिए। इस तरह की गतिविधियाँ / बयानों को कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध माना जाता है, जैसे जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 125, भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B, 171C, 295A और 505 (2) और धार्मिक संस्थानों (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1988।

14, पण्डित पंत मार्ग, नई दिल्ली, 110001, दूरभाष / फ़ैक्स : 23712323, 23712744, 23712509

14, Pt. Pant Marg, New Delhi- 110001, Telefax : 23712744, 23712323, 23712509

ई-मेल : [bjpdelhioffice@gmail.com](mailto:bjpdelhioffice@gmail.com), वेब : [www.bjpdelhi.org](http://www.bjpdelhi.org)



## भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh

(ii) किसी को भी किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए या ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर हमला हो या दुर्भावनापूर्ण या अपमानजनक शालीनता और नैतिकता के खिलाफ हो।

(iii) जब व्यक्तियों और संगठनों को सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति चाहिए हो तो उन्हें उपरोक्त दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए एक घोषणा / वचन देने के लिए प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए।

(iv) ऐसे व्यक्तियों और संगठनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी के माध्यम से बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए। यदि कोई भी उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उचित कानून और व्यवस्था के रखरखाव से संबंधित राज्य और जिला अधिकारियों को ऐसे सभी मामलों में उचित उपचारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा, जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि उपक्रम का उल्लंघन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को उस चुनाव की अवधि के दौरान कोई और कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाए।

(v) यदि कार्यक्रमों में किसी विशेष उम्मीदवार या उम्मीदवारों के चुनावी संभावनाओं को सीधे बढ़ावा देने के लिए खर्च और शामिल हो तो खर्च को पूरा करने के लिए संबंधित उम्मीदवार से पूर्व विशेष प्राधिकारी को लिखित रूप में, धारा 171H के तहत आवश्यक रूप से देना होगा। भारतीय दंड संहिता और इस तरह के मामलों को 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी भी उल्लंघन का परिणाम संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के योग्य होना चाहिए। "

इसके अलावा, चुनाव संबंधी व्यय की निगरानी के संकलन पैरा 16.2 के पृष्ठ 52 पर राजनीतिक दलों की भूमिका निम्नानुसार है:

"राजनीतिक दलों को विधानसभा चुनाव के 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनावों के 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अपने चुनावी खर्चों का ब्यौरा दर्ज कराने की आवश्यकता होती है। चुनाव खर्च का विवरण व्यक्तिगत उम्मीदवारों को दिए गए सभी एकमुश्त राशि, स्टार प्रचारकों और अन्य पार्टी पदाधिकारियों की यात्रा पर, बैनर, पोस्टर, डेज़ी, कटआउट और होर्डिंग्स, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन आदि, सामान्य पार्टी प्रचार और व्यक्तिगत उम्मीदवारों दोनों के खर्चों का विवरण देना चाहिए। "

14, पण्डित पंत मार्ग, नई दिल्ली, 110001, दूरभाष / फ़ैक्स : 23712323, 23712744, 23712509

14, Pt. Pant Marg, New Delhi- 110001, Telefax : 23712744, 23712323, 23712509

ई-मेल : [bjpdelhioffice@gmail.com](mailto:bjpdelhioffice@gmail.com), वेब : [www.bjpdelhi.org](http://www.bjpdelhi.org)



## भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh

इसके आगे निर्वाचन व्यय के संकलन की निगरानी के (Annexure) अनुबंध 16 के पृष्ठ 115 जिसका शीर्षक 'सार्वजनिक बैठकों' / 'रैलियों आदि पर व्यय का विवरण' है, निम्नलिखित आवश्यकता की मांग करता है "उम्मीदवार / उसके चुनाव एजेंट द्वारा दिए गए समय पर चुनाव रैलियों/ बैठकों के आवेदन करने की अनुमति के दौरान देना होता है।"

यह AAP नेताओं के सार्वजनिक बयानों से स्पष्ट है कि वे विरोध प्रदर्शनों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और यह केवल प्रचार के उद्देश्य के साथ है जिसके परिणामस्वरूप AAP से संबंधित उम्मीदवार की संभावनाओं में सुधार हो सके।

इस तरह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव खर्च से संबंधित नियमों के प्रावधानों और अन्य सभी चुनावी कानूनों को लेकर AAP को बताया जाना चाहिए। AAP और उसके नेताओं द्वारा इस तरह के नकारात्मक कार्य चुनावों के स्तर को विकृत कर रहे हैं जो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिहाज से गैर योग्य है। चुनाव खर्च पर 28 लाख रुपये की सीमा के अलावा AAP के उम्मीदवार CAA का विरोध करने की आड़ में ऐसे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर किए गए खर्चों से लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि ऐसे प्रायोजित सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य चुनावी संभावनाओं में AAP उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने और बीजेपी उम्मीदवारों की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाते हेतु किया जा रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हमारा आपसे अनुरोध है कि:-

- (1) शाहीन बाग तथा उसी प्रकार के अन्य स्थानों पर सीएए 2019 के विरोध में हो रहे आंदोलनों का सारा खर्चा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के चुनाव व्यय में शामिल किया जाये।
- (2) आम आदमी पार्टी को यथाशीघ्र नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाये।
- (3) एक निष्पक्ष चुनाव व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त कर जांच करवाई जाये एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये।

14, पण्डित पंत मार्ग, नई दिल्ली, 110001, दूरभाष / फ़ैक्स : 23712323, 23712744, 23712509

14, Pt. Pant Marg, New Delhi- 110001, Telefax : 23712744, 23712323, 23712509


ई-मेल : [bjpdelhioffice@gmail.com](mailto:bjpdelhioffice@gmail.com), वेब : [www.bjpdelhi.org](http://www.bjpdelhi.org)





भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली प्रदेश  
Bharatiya Janata Party, Delhi Pradesh


(4) पुनः अनुरोध है कि एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक द्वारा पूरी दिल्ली में फैल रहे शाहीन बाग जैसे आंदोलनों पर नजर रखवाई जाये।


(5) तुरन्त प्रभाव से आम आदमी पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों के खातों की जांच की जाये और उनसे पूरा रिकार्ड मांगा जाये।


  
(डा. हर्ष वर्धन)  
केन्द्रीय मंत्री

  
(मुख्तार अब्बास नकवी)  
केन्द्रीय मंत्री

  
(भूपेन्द्र यादव)  
राष्ट्रीय महासचिव

  
(मीनाक्षी लेखी)  
सांसद

  
(संजय मयूख)  
राष्ट्रीय सह-प्रमुख मीडिया

  
(नीरज)  
संयोजक, न्यायिक मामले व चुनाव  
आयोग से संबन्धित

धन्यवाद

ANNEXURE(s):

- 1) News Article dated 23<sup>rd</sup> Jan 2020 from News 18 website
- 2) News Article dated 21<sup>st</sup> Dec 2020 from India Today

14, पण्डित पंत मार्ग, नई दिल्ली, 110001, दूरभाष / फ़ैक्स : 23712323, 23712744, 23712509

14, Pt. Pant Marg, New Delhi- 110001, Telefax : 23712744, 23712323, 23712509

ई-मेल : [bjpdelhioffice@gmail.com](mailto:bjpdelhioffice@gmail.com), वेब : [www.bjpdelhi.org](http://www.bjpdelhi.org)